RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
24
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

भारत वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा / India Moves up to 9th Position Globally in Forest Area

संदर्भ:

भारत वैश्विक वन क्षेत्र में नौवें स्थान पर पहुँच गया है, और वार्षिक शुद्ध वन वृद्धि में तीसरा स्थान भी बनाए रखा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की नवीनतम रिपोर्ट में इस उपलब्धि को सरकार की नीतियों और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों से जोड़ा गया है।

मुख्य तथ्य:

- **वर्तमान रैंक:** वैश्विक स्तर पर कुल वन क्षेत्र में 9वां स्थान।
- **पिछला रैंक:** पिछली आकलन रिपोर्ट में 10वां स्थान।
- **कुल वन क्षेत्र:** भारत का वन क्षेत्र लगभग 72.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो विश्व के कुल वनों का लगभग 2% है।
- **वार्षिक शुद्ध वृद्धि:** भारत ने वार्षिक शुद्ध वन क्षेत्र वृद्धि में तीसरा स्थान बनाए रखा है, 2015 से 2025 के बीच हर साल लगभग 1,91,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई।
- **वैश्विक शीर्ष देश:** रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन शीर्ष पांच देश हैं, जिनके पास विश्व के कुल वनों का आधा से अधिक हिस्सा है।
- **संदर्भ:** 1990 से 2025 तक केवल एशिया महाद्वीप में कुल वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मुख्य योगदान भारत और चीन का रहा।

सुधार के कारण: इस सुधार के पीछे मुख्य कारण हैं:

  - सरकार की **संरक्षण नीतियाँ**।
  - राज्य सरकारों द्वारा संचालित **विशाल वृक्षारोपण अभियान**।
  - **सामुदायिक भागीदारी पहलें**, जैसे "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान।
- ध्यान देने योग्य है कि भारत में **वन क्षेत्र की परिभाषा व्यापक** है, जिसमें **प्लांटेशन, बाग, और बांस** शामिल हैं। कुछ पारिस्थितिकीविदों का मानना है कि यह प्राकृतिक वन आवरण की सख्त परिभाषा की तुलना में थोड़ा अलग तस्वीर पेश कर सकता है।

मुख्य महत्व और निहितार्थ:

- **जलवायु परिवर्तन में योगदान:** वन क्षेत्र के विस्तार से देश की प्राकृतिक कार्बन शोषण क्षमता बढ़ती है, जो भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने में मदद करता है। इसमें 2030 तक अतिरिक्त 2.5-3.0 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य शामिल है।
- **जैव विविधता संरक्षण:** वन भारत के समृद्ध और अनोखे पौधों और जीव-जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं, जिनमें लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी शामिल हैं। हाल के राष्ट्रीय रिपोर्टों में बहुत घने वन क्षेत्र में वृद्धि ने सफल पुनर्जनन और संरक्षण प्रयासों को दर्शाया है, जो देश की व्यापक जैव विविधता का समर्थन करते हैं।

सरकारी पहल और वन संरक्षण उपाय:

- **'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान:** नागरिकों को पेड़ लगाने और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM):** **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)** के तहत यह मिशन वन आवरण बढ़ाने और मौजूदा वन की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके।
- **कम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अधिनियम (2016):** अधिनियम गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि उपयोगकर्ताओं को वनरोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए क्षतिपूर्ति शुल्क देने का प्रावधान
- **ईको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs):** संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य) के आसपास स्थापित ज़ोन जो संवेदनशील पारिस्थितिकी पर मानवीय गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए एक **बफ़र क्षेत्र** के रूप में कार्य करते हैं।
- **संयुक्त वन प्रबंधन (JFM):** यह कार्यक्रम राज्य वन विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देता है, ताकि वन संसाधनों की सुरक्षा और पुनर्जनन सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष: भारत की वैश्विक वन रैंकिंग में प्रगति देश की पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास के प्रति प्रतिबद्धता को पुन: पुष्टि करती है। आने वाले वर्षों में इस प्रगति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक वन प्रबंधन, स्थानीय सहभागिता और जलवायु-सहिष्णु पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक होगा।

47वां आसियान समिट 2025 / 47th ASEAN Summit 2025

संदर्भ:

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे और बैठक में आभासी रूप से हिस्सा लेंगे। वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल उपस्थिति के कारण:

- **कार्यक्रम का टकराव:** आसियान समिट (26-28 अक्टूबर) भारत में दीपावली और छठ पूजा के उत्सवों के साथ मेल खाता है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुष्टि की कि पीएम मोदी ने त्योहारों के कारण वर्चुअल उपस्थिति की जानकारी दी।
- **राजनीतिक विचार:** कुछ स्रोतों के अनुसार यह निर्णय आगामी घरेलू राजनीतिक घटनाओं, जैसे बिहार चुनाव, से भी प्रभावित है।
- **डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से बचाव:** विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से बच रहे हैं। यह व्यापार और भारत की रूस से तेल आयात को लेकर हालिया तनाव के बीच आया है।

47वां आसियान समिट 2025: महत्वपूर्ण विवरण-

- **आयोजक देश:** मलेशिया
- **स्थान:** कुआलालंपुर
- **तिथियाँ:** 26-28 अक्टूबर 2025
- **थीम:** "समावेशिता और स्थिरता"
- **मुख्य प्रतिभागी:** सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेता; संवाद साझेदार देशों में अमेरिका (राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित), चीन, जापान, भारत (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उपस्थिति), और अन्य शामिल।

ASEAN क्या है?

- **पूरा नाम:** Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
- **स्थापना:** 8 अगस्त 1967, बैंकॉक, थाईलैंड। इसे बैंकॉक घोषणा (ASEAN Declaration) के तहत इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के संस्थापक नेताओं ने स्थापित किया।
- **सदस्य देश:** ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम
- **लक्ष्य:** आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना; इसका आदर्श वाक्य है - "One Vision, One Identity, One Community"
- **सचिवालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया
- **जनसंख्या और अर्थव्यवस्था:** 662 मिलियन लोग; संयुक्त GDP लगभग $3.2 ट्रिलियन (2022)

ASEAN का संस्थागत ढांचा:

- **ASEAN Summit:** वार्षिक बैठक, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा और नीतिगत दिशा तय की जाती है।
- **ASEAN Coordinating Council (ACC):** ASEAN समझौतों और निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
- **ASEAN Secretariat:** ASEAN की गतिविधियों और पहलों का समर्थन और सुविधा प्रदान करता है।
- **ASEAN Regional Forum (ARF):** राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर संवाद और सहयोग के लिए मंच।

ASEAN के मूलभूत सिद्धांत:

- सभी देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, भौगोलिक अखंडता और राष्ट्रीय पहचान का आपसी सम्मान।
- प्रत्येक राज्य का राष्ट्रीय अस्तित्व स्वतंत्र रूप से निभाने का अधिकार, बिना बाहरी हस्तक्षेप, उथल-पुथल या दबाव के।
- एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- मतभेदों या विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
- बल या धमकी का परित्याग।
- आपसी सहयोग और प्रभावी साझेदारी।

भारत–आसियान संबंध:

- **स्थापना और विकास:** भारत और आसियान का संवाद 1992 में शुरू हुआ, 2012 में इसे **रणनीतिक साझेदारी** का दर्जा मिला।
- **नीति एवं दृष्टिकोण:** यह संबंध भारत की **"Act East Policy"** और **इंडो–पैसिफिक दृष्टि** के केंद्र में है।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) के तहत व्यापारिक सहयोग।
  - द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में $131 बिलियन से अधिक पहुंचा।
- **रणनीतिक सहयोग:** कनेक्टिविटी, सुरक्षा और जलवायु लचीलापन (climate resilience) जैसे क्षेत्रों में साझेदारी।
- **चुनौतियाँ:** भारत ने आसियान के साथ **व्यापार घाटे (trade deficit)** पर चिंता जताई है।

सरकार ने एआई-जनित सामग्री को विनियमित करने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया / Govt. Notifies Amendments to IT Rules, 2021 To Regulate AI-generated Content

संदर्भ:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **(MeitY)** ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में संशोधनों का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य प्रावधान – संशोधित नियम (Key Provisions of the Amendments):

- **अनिवार्य लेबलिंग:** सामग्री बनाने वालों और प्लेटफॉर्म्स (विशेषकर Significant Social Media Intermediaries – SSMIs) को AI-जनित या संशोधित सामग्री स्पष्ट रूप से लेबल करने की आवश्यकता।
- **सिंथेटिक सामग्री की परिभाषा:** कोई भी छवि, वीडियो या ऑडियो जिसे कंप्यूटर संसाधनों द्वारा इस तरह बनाया या बदला गया हो कि यह वास्तविक या सटीक प्रतीत हो, उसे "सिंथेटिक सामग्री" कहा जाएगा।
- **दृश्य और श्रवण मानक (Visibility Standards):**
  - **Visual Content:** लेबल स्क्रीन के कम से कम **10% क्षेत्र** पर दिखाई दे।
  - **Audio Content:** लेबल ऑडियो की कम से कम **पहली 10% अवधि** में सुनाई दे।
- **उपयोगकर्ता घोषणा और प्लेटफॉर्म सत्यापन:**
  - उपयोगकर्ता को बताना होगा कि सामग्री AI-जनित है।
  - प्लेटफॉर्म को **उचित तकनीकी उपाय** (जैसे ऑटोमेटेड टूल्स) से इसकी जांच और लेबलिंग करनी होगी यदि उपयोगकर्ता ने घोषणा नहीं की।
- **ट्रेसबिलिटी और अपरिवर्तनीय मेटाडेटा:** AI-जनित सामग्री में स्थायी और अद्वितीय मेटाडेटा/पहचानकर्ता एम्बेड करना अनिवार्य, जिसे बदला या हटाया नहीं जा सकता।
- **जवाबदेही और "सेफ हार्बर":** नियमों का पालन न करने पर प्लेटफॉर्म को IT Act, 2000 की Section 79 की सेफ हार्बर सुरक्षा खो सकती है, जिससे उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- **सामग्री हटाने की प्रक्रियाएँ (Content Takedown Procedures):**
  - सरकारी आदेश केवल **Joint Secretary स्तर या DIG स्तर** अधिकारी द्वारा लिखित कानूनी औचित्य के साथ जारी किया जा सकता है।
  - सभी Takedown आदेश **मासिक समीक्षा** के अधीन होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सचिव-स्तरीय अधिकारी संभालेंगे।

संशोधनों का महत्व:

- भारत के **डिजिटल गवर्नेंस ढांचे** और **ऑनलाइन सुरक्षा प्रणाली** को मजबूत बनाता है।
- सरकार के **एआई दुरुपयोग, डीपफेक और फेक न्यूज** से निपटने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में **विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही** को बढ़ावा देता है।

चिंताएँ:

- **सरकारी हस्तक्षेप और सेंसरशिप** के बढ़ने की आशंका।
- "**फेक**" या "**भ्रामक**" सामग्री की परिभाषा को लेकर **स्पष्टता की कमी**।
- **छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म** के लिए तकनीकी आवश्यकताओं का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

सरकार का उद्देश्य:

- इन संशोधनों का मुख्य लक्ष्य **पारदर्शिता बढ़ाना**, **भ्रामक जानकारी और डीपफेक से मुकाबला करना**, तथा भारत में एक **सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम** को विकसित करना है।
- **जनता और उद्योग जगत से सुझाव** आमंत्रित किए गए थे, जिनकी अंतिम तिथि **6 नवम्बर 2025** निर्धारित की गई थी।

आगे की राह:

- **स्वतंत्र निगरानी तंत्र** स्थापित किया जाए ताकि सामग्री मॉडरेशन में निष्पक्षता बनी रहे।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** और **उपयोगकर्ता सुरक्षा** के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।
- **डिजिटल साक्षरता, जागरूकता और नैतिक एआई उपयोग** को प्रोत्साहित किया जाए ताकि नियामक उपायों को समर्थन मिल सके।

गूगल का सेल2सेंटेंस-स्केल 27B (C2S-स्केल) / Google's Cell2Sentence-Scale 27B (C2S-Scale)

संदर्भ:

गूगल डीपमाइंड और गूगल रिसर्च ने एक नया एआई फाउंडेशन मॉडल **Cell2Sentence-Scale 27B (C2S-Scale)** पेश किया है, जो जैविक कोशिकाओं से संबंधित जटिल डाटा को समझने और उसे प्राकृतिक भाषा में परिवर्तित करने में सक्षम है।

C2S-Scale के बारे में:

- **पूरा नाम:** Cell2Sentence-Scale 27B (C2S-Scale)
- **डेवलपर:** Google DeepMind और Google Research
- **मॉडल साइज:** 27 बिलियन पैरामीटर्स वाला फाउंडेशन मॉडल
- **मुख्य उद्देश्य:** कोशिकाओं (Cells) की "भाषा" को समझना – अर्थात् जीन और प्रोटीन अभिव्यक्ति (gene & protein expression) के जटिल पैटर्न्स को डिकोड करना जो कोशिकीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं।
- **प्रकाशन:** इस मॉडल से जुड़ी विस्तृत जानकारी **bioRxiv** (ओपन-एक्सेस प्रीप्रिंट रिपॉजिटरी) पर प्रकाशित की गई है, और निष्कर्ष **Google के आधिकारिक रिसर्च ब्लॉग** पर भी साझा किए गए हैं।

C2S-Scale की कार्यप्रणाली:

- **मुख्य उद्देश्य:** मॉडल को ऐसी दवा (drug) की पहचान करने का कार्य दिया गया जो इम्यून सिग्नलिंग को बढ़ाए – विशेष रूप से एंटीजन प्रेजेंटेशन को – उन परिस्थितियों में जहां इंटरफेरॉन स्तर कम होते हैं (जो अक्सर शुरुआती ट्यूमर वृद्धि में देखे जाते हैं)।
- **विश्लेषण प्रक्रिया:** C2S-Scale ने **4,**000 से अधिक दवाओं के व्यवहार का सिमुलेशन किया और ट्यूमर-इम्यून सिस्टम में उनके इंटरैक्शन पैटर्न का विश्लेषण किया।
- **मुख्य खोज:** मॉडल ने Silmitasertib नामक एक CK2 inhibitor की पहचान की, जो ट्यूमर की इम्यून सिस्टम द्वारा पहचान को बढ़ाने की क्षमता रखता है।

C2S-Scale की प्रमुख विशेषताएँ:

- **सेलुलर लैंग्वेज फ्रेमवर्क:** यह मॉडल उच्च-आयामी single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) डेटा को "cell sentences" (जीन अभिव्यक्ति स्तर के आधार पर क्रमबद्ध जीन नाम) में परिवर्तित करता है, जिससे यह Natural Language Processing (NLP) तकनीकों को जटिल जैविक डेटा पर लागू कर पाता है।
- **फाउंडेशन मॉडल:** C2S-Scale को Google के ओपन-सोर्स Gemma-2 27B आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जो एक decoder-only transformer model है। इसे 57 मिलियन से अधिक कोशिकाओं और 800+ डेटासेट्स (जैसे CellxGene, Human Cell Atlas) से लिए गए 1 अरब से अधिक ट्रांस्क्रिप्टोमिक टोकन्स पर प्रशिक्षित किया गया।
- **परिकल्पना निर्माण (Hypothesis Generation):** मॉडल की एक मुख्य क्षमता यह है कि यह केवल मौजूदा डेटा का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि नई और परीक्षण योग्य वैज्ञानिक परिकल्पनाएँ (hypotheses) भी उत्पन्न करता है।
- **संदर्भ-आधारित विश्लेषण (Context-Dependent Reasoning):** इसके 27 अरब पैरामीटर्स मॉडल को जटिल और संदर्भ-निर्भर जैविक इंटरैक्शन को समझने की उन्नत तर्क क्षमता (conditional reasoning ability) प्रदान करते हैं।
- **ओपन-सोर्स उपलब्धता:** मॉडल और इसके संसाधन वैश्विक शोध समुदाय के लिए खुले (open-source) हैं, जिससे आगे के विकास और सत्यापन को बढ़ावा मिलेगा।

C2S-Scale की खोज का महत्व:

- **वैज्ञानिक उपलब्धि (Scientific Milestone):** यह खोज **AI द्वारा जैविक रूप से नई और परीक्षण योग्य दवा मार्ग (drug pathway)** को स्वायत्त रूप से पहचानने के शुरुआती उदाहरणों में से एक है।
- **चिकित्सीय संभावनाएँ (Medical Potential):** यह खोज **कैंसर के लिए संयोजन चिकित्सा (combination cancer therapies)** विकसित करने के नए रास्ते खोलती है, जिसमें मौजूदा और नई दोनों दवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- **दवा अनुसंधान में क्रांति (Drug Development Revolution):** यह पारंपरिक **trial-based pharmacology** से एक बदलाव को दर्शाती है, जहाँ अब **predictive, model-based drug discovery** के माध्यम से दवा विकास **तेज, अधिक सटीक और किफायती** बन सकता है।

एटॉमिक स्टेंसिलिंग / Atomic Stencilling

संदर्भ:

शोधकर्ताओं ने **एटॉमिक स्टेंसिलिंग (Atomic Stencilling)** नामक एक नई तकनीक विकसित की है, जिसके माध्यम से परमाणु स्तर पर सटीक नियंत्रण के साथ "पैची नैनोकण" (Patchy Nanoparticles) तैयार किए जा सकते हैं।

एटॉमिक स्टेंसिलिंग (Atomic Stencilling) के बारे में:

परिचय (About): एटॉमिक स्टेंसिलिंग वैज्ञानिकों को गोल्ड नैनोपार्टिकल्स पर पॉलीमर को चुनिंदा रूप से "पेंट" करने की सुविधा देता है, जिससे विशिष्ट सतही पैटर्न बनते हैं।

- नैनोपार्टिकल्स अत्यंत छोटे कण हैं, जो दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा जैसी क्रांतिकारी तकनीकों के लिए निर्माण खंड का काम करते हैं।
- जटिल और कार्यात्मक सामग्री बनाने के लिए, वैज्ञानिकों को ऐसे नैनोपार्टिकल्स की आवश्यकता होती है जिनकी सतह पर विभिन्न डोमेन हों, जो उनके आपसी जुड़ाव और पैटर्न निर्माण को मार्गदर्शित कर सकें।
- इस तकनीक की मदद से शोधकर्ताओं ने 20 से अधिक प्रकार के पैची नैनोपार्टिकल्स तैयार किए, जिनके विशिष्ट सतही पैटर्न हैं।

महत्त्व (Significance):

- नैनोपार्टिकल डिज़ाइन पर इस नए स्तर का नियंत्रण मेटामटीरियल्स (metamaterials) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- मेटामटीरियल्स ऐसे इंजीनियर्ड पदार्थ हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से न मिलने वाले विशेष गुण होते हैं, जैसे कि प्रकाश और ध्वनि को नए तरीके से नियंत्रित करना।
- इसके अनुप्रयोग व्यापक हैं, जिनमें लक्षित दवा वितरण (targeted drug delivery), अल्ट्रा-एफिशिएंट कैटालिस्ट, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट मटीरियल्स शामिल हैं।

ईरान संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समूह में शामिल / Iran to join UN's anti-terror group

संदर्भ:

ईरान ने वैश्विक वित्तीय मानकों के अनुरूप होने के प्रयास में **संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वित्तपोषण निरोध संधि (CFT)** में शामिल होने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है।

इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज़्म (CFT) और ईरान की स्थिति:

- **FATF स्थिति:** अक्टूबर 2025 तक, ईरान FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल है क्योंकि उसने पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (CFT) मानक अपनाए नहीं हैं। हाल की CFT स्वीकृति को FATF द्वारा संभावित पुनर्मूल्यांकन की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।
- **CFT के बारे में:**
  - **स्वीकृति:** 9 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया (संकल्प 54/109)।
  - **उद्देश्य:** आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने को अपराध बनाना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ऐसे अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना।
  - **आवश्यकताएँ:** देशों को वित्तीय निगरानी मजबूत करनी, खुफिया जानकारी साझा करनी और कानून प्रवर्तन में सहयोग करना आवश्यक है।
  - **अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा:** यह अन्य UN साधनों के साथ पूरक है, जैसे कि UN Security Council Resolution 1373 (2001) और UN Convention against Transnational Organized Crime (2000)।

भारत में कार्यान्वयन: भारत ने CFT को स्वीकृत कर अपने कानून में शामिल किया है, जिनमें प्रमुख हैं:

- Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967
- Prevention of Money Laundering Act, 2002

GS FOUNDATION For

UPSC & STATE PSC

- इतिहास
- अर्थव्यवस्था
- भूगोल
- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1500x4
~~₹6000/-~~

₹4500/-

- रोज़ाना लाइव क्लासेस
- साप्ताहिक टेस्ट
- क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
- लाइव डाउट सेशन
- रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न

COURSE VALIDITY 1 YEAR

FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET

LEARN HOW TO TRADE

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH

COMBO OFFERS

COURSE FEE
~~₹4000/-~~

OFFER PRICE
₹2800/-

Course Validity
1 YEAR

BBK
Baaten Bazar ki

एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात
Baaten Bazar Ki

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

Baaten Bazar Ki

Invest in Knowledge | Grow Your Wealth

Course fee

₹1999/-

COURSE VALIDITY 1 YEAR

एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE
BBK
Baaten Bazaar ki
EMI AVAILABLE
+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
FREE
» Long-Term Investing Foundations
» Principles of Value Investing and Stock
» Portfolio Construction Mastery
» Sectoral Investing
» Stock Picking Framework
» Active Portfolio Management Techniques
» Mega Cap vs Mid Cap Strategy
SPECIAL BONUS
COURSE VALIDITY
1 YEAR